अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

(एफएक्यू)

(दिनांक 16.06.2026 तक अद्‌यतन)

विषय सूची

योजना के बारे में 2

लाभ 2

विशेषताएँ 3

एनपीएस वात्सल्य खाता खोलना 5

अंशदान, निवेश एवं निगरानी 6

शुल्क 8

आंशिक आहरण 10

निरंतरता 11

मृत्यु 12

शिकायत का निवारण 13

कर लाभ 14

अतिरिक्त प्रश्न 15

<u>योजना के बारे में</u>

1. एनपीएस वात्सल्य क्या है?

एनपीएस वात्सल्य योजना को विशेष रूप से नाबालिगों (18 वर्ष से कम आयु वालों) के लिए बनाया गया है, ताकि बच्चों में कम उम्र से ही बचत की आदत विकसित हो सके, उन्हें वित्तीय साक्षरता और वित्तीय योजना से परिचित कराया जा सके, और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा तथा विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन की अवधारणाओं को सुदृढ़ किया जा सके।

2. एनपीएस वात्सल्य की शुरूआत कब की गई?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य (एनपीएस वात्सल्य) योजना का शुभारंभ माननीय केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2024 को किया गया।

3. एनपीएस वात्सल्य योजना का उद्देश्य क्या है?

एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों में अनुशासित बचत की आदत विकसित करती है और बच्चों को बाल्यकाल से ही संपत्ति निर्माण तथा लचीले अंशदान और निवेश विकल्प के साथ सेवानिवृत्ति कोष के निर्माण हेतु शुरूआती अवसर प्रदान करती है। यह योजना 'विकसित भारत@2047" की परिकल्पना से प्रेरित है।

4. इस योजना का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है?

इस योजना का विनियमन पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के अंतर्गत जारी विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा किया जाता है।

<u>लाभ</u>

1. एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने पर कौन-कौन से लाभ मिलते हैं?

एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों के भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विनियामक सुरक्षा उपायों के साथ शुरूआती वित्तीय आयोजना, अनुशासित बचत और निधियों के व्यासायिक निवेश को बढ़ावा देती है।

2. क्या वात्सल्य खातें में रिश्तेदार और मित्र भी अंशदान कर सकते हैं?

हाँ, माता-पिता या अभिभावकों के अलावा रिश्तेदार और मित्र भी वात्सल्य खाते में अंशदान कर सकते हैं।

3. क्या आयकर में छूट मिलती है?

जी हाँ, एनपीएस के समान ही, एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत किए गए अंशदान पर, आयकर अधिनियम 2025 के अंतर्गत कर में छूट मिलती है।

विशेषताएँ

1. एनपीएस वात्सल्य योजना में कौन शामिल हो सकता है?

18 वर्ष से कम आयु के सभी भारतीय नागरिक एनपीएस वात्सल्य योजना में शामिल हो सकते हैं। नाबालिग की ओर से अभिभावक द्वारा खाता खोला एवं संचालित किया जाएगा।

2. क्या एनआरआई अथवा ओसीआई इसमें शामिल हो सकते हैं?

जी हाँ, 18 वर्ष से कम आयु के अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक (ओसीआई) भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

3. एनपीएस वात्सल्य खाता कौन-कौन खोल सकता है?

नाबालिग की ओर से माता-पिता या कानूनी अभिभावक एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक नाबालिग के विशेष लाभ प्राप्त करने हेतु इस खाते का संचालन अभिभावक द्वारा किया जाएगा।

4. एनपीएस वात्सल्य खाते का लाभार्थी कौन है?

इस खाते का एकमात्र लाभार्थी नाबालिग ही है। योजना से प्राप्त सभी अंशदान, प्रतिलाभ और लाभ बच्चे की भविष्य की वित्तीय सुरक्षा के लिए ही होंगे।

5. क्या 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर एनपीएस वात्सल्य योजना में शामिल होना संभव है?

नहीं, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर नया एनपीएस वात्सल्य खाता नहीं खोला जा सकता। केवल मौजूदा अभिदाता ही 21 वर्ष की आयु तक इस योजना के अंतर्गत बने रह सकते हैं।

6. क्या न्यायालय द्वारा नियुक्त कानूनी अभिभावक बच्चे के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं?

हाँ, यदि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को कानूनी अभिभावक को नियुक्त किया गया है, तो अभिभावक के केवाईसी दस्तावेजों के साथ संबंधित न्यायालय आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

7. प्रबंधन/प्रशासनिक अधिकार अभिदाता को कब हस्तांतरित होते हैं?

18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर और निर्धारित केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभिदाता को प्रबंधन/प्रशासनिक अधिकार हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। इसके बाद, वात्सल्य खाते पर एनपीएस की विशेषताएँ, लाभ और निकास संबंधी नियम लागू होंते हैं।

8. क्या एक वर्ष में अंशदान करने की कोई सीमा है?

नहीं, एक वर्ष में अंशदान करने की कोई सीमा नहीं है।

9. खाता खोलने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक अंशदान कितना है?

खाता खोलने के लिए न्यूनतम अंशदान ₹250/- है।

10. एनपीएस वात्सल्य में वार्षिक न्यूनतम अंशदान कितना है?

वार्षिक न्यूनतम अंशदान ₹250/- है।

11. एनपीएस वात्सल्य में अधिकतम अंशदान कितना है?

अधिकतम अंशदान राशि की कोई सीमा नहीं है।

12. यदि अभिदाता किसी वित्तीय वर्ष में अंशदान नहीं करता है, तो क्या इसका खाते पर कोई प्रभाव पड़ता है?

नहीं। 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक न तो खाते पर कोई प्रभाव पड़ता है और न ही वह निष्क्रिय होता है।

13. क्या अभिदाता पीओपी, पेंशन निधि और सीआरए को परिवर्तित सकता है?

जी हाँ, अभिदाता निम्नलिखित सीमाओं के साथ उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), पेंशन निधि (पीएफ) और केन्द्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (सीआरए) को परिवर्तित कर सकता है:

मध्यवर्ती	स्वीकार्य आवृत्ति
पीओपी	कभी भी, परिवर्तित करने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं
पेंशन निधि	एक वित्तीय वर्ष में एक बार
सीआरए	एक वितीय वर्ष में दो बार

14. क्या यह केवल बालिकाओं के लिए उपलब्ध है?

नहीं, एनपीएस वात्सल्य भारत के सभी नाबालिग नागरिकों (पुरुष, महिला या अन्य किसी भी लिंग) के लिए उपलब्ध है।

15. क्या नाबालिग को पीआरएएन नंबर जारी किया जाएगा?

जी हाँ, खाता खोलने पर केन्द्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (सीआरए) द्वारा नाबालिग अभिदाता के नाम पर एक विशिष्ट स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) को जारी किया जाएगा।

एनपीएस वात्सल्य खाता खोलना

1. एनपीएस वात्सल्य खाता कैसे खोलें?

निम्नलिखित माध्यमों से एनपीएस वात्सल्य खाता खोला जा सकता है:

i. **ऑफलाइन:** पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) के माध्यम से

ii. **पीओपी द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन सुविधा** के माध्यम से

iii. **ई-एनपीएस प्लेटफॉर्म** (https://npstrust.org.in/open-nps-vatsalya) के माध्यम से

iv. पीएफआरडीए द्वारा अनुमोदित किसी **अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम** से

2. एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होते हैं:

i. **नाबालिग** की **जन्म तिथि का प्रमाण** (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र, नाबालिग स्थायी खाता संख्या (पैन), या पासपोर्ट); एवं

ii. **अभिभावक** का **केवाईसी** (आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) रोजगार कार्ड, या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर दस्तावेज);एवं

iii. **अभिभावक** का **पैन या नियम 114 (ख)** के अनुसार फॉर्म 60 घोषणा,

iv. यदि **अभिभावक ओसीआई/एनआरआई** है तो नाबालिग का एकल या संयुक्त एनआरई/एनआरओ बैंक खाता, (भारतीय निवासियों के लिए वैकल्पिक)

3. खाता खोलते समय माता-पिता या अभिभावक को कौन-कौन से विकल्प चुनने होते हैं?

खाता खोलते समय निम्नलिखित विकल्पों का चयन करना होता है:

i. **सीआरए (केन्द्रीय अभिलेखपाल एजेंसी) का चयन**: पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत सीआरए में से

ii. **पेंशन निधि (पीएफ) का चयन:** पीएफआरडीए में पंजीकृत पेंशन निधियों में से

4. क्या इस योजना के लिए नाबालिग का बैंक खाता आवश्यक है?

योजना में शामिल होते समय भारतीय निवासियों के लिए नाबालिग का बैंक खाता **वैकल्पिक** है, लेकिन **एनआरआई/ओसीआई अभिदाता** के मामले में नाबालिग का एकल या संयुक्त एनआरई/एनआरओ बैंक खाता होना अनिवार्य है।

हालांकि, आंशिक आहरण अथवा 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर निकास के समय, सभी मामलों में नाबालिग का बैंक खाता या नाबालिग के साथ संयुक्त बैंक खाते की आवश्यकता होगी।

5. क्या योजना में शामिल होते समय नामिति बनाना आवश्यक है?

नहीं, अभिभावक स्वतः ही योजना के अंतर्गत नामिति बन जाते हैं।

6. मैं कितने एनपीएस वात्सल्य खाते खोल सकता/सकती हूँ?

अभिभावक प्रत्येक नाबालिग/बच्चे के लिए केवल एक खाता खोल सकते हैं।

7. केन्द्रीय अभिलेखपाल एजेंसी की क्या भूमिका है?

केन्द्रीय अभिलेखपाल एजेंसी (सीआरए) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत एक प्रमुख मध्यवर्तीहै, जो केंद्रीकृत रिकॉर्ड का रखरखाव, लेखांकन, प्रशासन और अभिदाताओं को सेवाएँ प्रदान करने का कार्य करती है। अधिक जानकारी के लिए पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास की वेबसाइट देखें।

8. उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) की क्या भूमिका है?

उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) अभिदाता पंजीकरण को सुगम बनाने, विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु केवाईसी सत्यापन करने, तथा एनपीएस संरचना के अंतर्गत अभिदाता अंशदान प्राप्त करने और सूचनाओं को प्रेषित करने जैसे अनिवार्य कार्य करते हैं। अधिक जानकारी के लिए पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास की वेबसाइट देखें।

अंशदान, निवेश एवं निगरानी

1. किन -किन माध्यमों के जरिए एनपीएस वात्सल्य में अंशदान किया जा सकता है?

माता-पिता, संरक्षक, रिश्तेदार तथा मित्र निम्नलिखित माध्यमों से अंशदान कर सकते हैं:

i. **भौतिक माध्यम:** किसी पंजीकृत सेवा प्रदाता (पीओपी) के पास जाकर एनपीएस अंशदान पर्ची के साथ चेक/नकद जमा करके।

ii. **पीओपी** द्वारा उपलब्ध कराई गई **ऑनलाइन सुविधा**

iii. **ई-एनपीएस प्लेटफॉर्म**

iv. **बीबीपीएस** के अंतर्गत सक्षम यूपीआई ऐप, जैसे भीम, फोन पे, जी पे इत्यादि के जरिए

v. पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी **अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम** के जरिए।

2. एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत अंशदान का निवेश कैसे किया जाता है?

निवेश प्रबंधन हेतु अभिभावक पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत किसी एक पेंशन निधि (पीएफ) का चयन कर सकते हैं, जो पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार निवेश करेगा।

3. पेंशन निधि क्या है?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंशदान प्राप्त करने तथा पेंशन राशि का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी पेंशन निधि (पीएफ) की होती है। पेंशन निधि से संबंधित और अधिक जानकारी तथा एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत पीएफ की सूची हेतु कृपया पीएफआरडीए/एनपीएस न्यास की वेबसाइट देखें।

4. एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत निवेश हेतु अनुमत परिसंपत्ति वर्ग तथा संकेतात्मक सीमाएँ क्या हैं?

एमएसएफ योजनाओं के समान ही, पेंशन निधि एनपीएस वात्सल्य के संबंध में अपनी परिसंपत्ति आवंटन संरचना का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें इक्विटी में अधिकतम 100% तक निवेश तथा शेष राशि निम्नलिखित परिसंपत्ति वर्गों में निवेश की जा सकती है। वैकल्पिक रूप से, पेंशन निधि निम्नलिखित परिसंपत्ति आवंटन पद्धति को अपना सकते हैं:

अनुमत परिसंपत्ति वर्ग	**संकेतात्मक सीमा**
सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं संबंधित निवेश	20% तक
ऋण लिखत एवं संबंधित निवेश	30% तक
अल्पकालिक ऋण साधन एवं संबंधित निवेश (मनी मार्केट)*	10% तक
इक्विटी एवं संबंधित निवेश	75% तक

**** योजना की कुल निधि ₹5 करोड़ से अधिक होने पर ही मनी मार्केट सीमा लागू होगी।***

5. एनपीएस वात्सल्य खाताधारकों के लिए कौन-कौन सी पहुंच सुविधाएँ उपलब्ध हैं?

अभिभावक/अभिदाता निम्नलिखित माध्यमों से अपने एनपीएस वात्सल्य खाते तक पहुंच सकते हैं:

i. अपने सेवा प्रदाता (पीओपी) के पास जाकर भौतिक माध्यम से

ii. सीआरए/पीओपी द्वारा प्रदान किए गए लॉगिन विवरण का उपयोग कर ऑनलाइन माध्यम से

iii. सीआरए/पीओपी द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से

6. अभिदाता एनपीएस वात्सल्य निवेश प्रदर्शन की जाँच किस प्रकार कर सकता है?

एनपीएस निवेश का प्रदर्शन लेन देन विवरणी (एसओटी) में उपलब्ध होता है, जिसे अभिदाता सीआरए वेबसाइट अथवा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने खाते में लॉगिन करके इसे ऑनलाइन देख सकता/सकती है।

7. **एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत खाता विवरण किस प्रकार उपलब्ध कराया जाता है?**
सीआरए द्वारा अभिदाता के पंजीकृत ई-मेल पते आवधिक विवरणी भेजी जाती है तथा यदि विकल्प का चयन किया गया हो, तो वित्तीय वर्ष की भौतिक विवरणी को अभिदाता के पत्राचार पते पर भी भेजा जाता है।

8. **एनपीएस वात्सल्य खाता खोलने हेतु कौन-से सीआरए का चयन किया जा सकता है?**
एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत सीआरए की सूची देखने हेतु कृपया पीएफआरडीए/एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट देखें।

9. **विभिन्न पेंशन निधियों द्वारा तैयार की गई एनपीएस वात्सल्य योजना से संबंधित जानकारी को कहाँ देखा जा सकता है?**
विभिन्न पेंशन निधियों द्वारा तैयार की गई एनपीएस वात्सल्य योजना से संबंधित जानकारी उनकी संबंधित वेबसाइटों अथवा एनपीएस न्यास की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

शुल्क

1. **एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत शुल्क संरचना क्या हैं?**
खाते पर किसी भी समय लगाए जाने वाले शुल्क एवं फीस, पीएफआरडीए द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित एनपीएस- सर्व नागरिक मॉडल के अंतर्गत लागू शुल्कों के समान ही होंगे। योजना से संबंधित कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु विभिन्न मध्यवर्तियों के संबंध में पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित शुल्क निम्नानुसार हैं:

कृपया मध्यवर्ती शुल्क संबंधी वास्तविक परिपत्रों के लिए www.pfrda.org.in को देखें।

पेंशन निधि शुल्क :

एयूएम श्रेणी (₹ करोड़)	**निवेश प्रबंधन शुल्क**
25,000 तक	0.12%
25,000 से अधिक से 50,000 तक	0.08%
50,000 से अधिक से 1,50,000 तक	0.06%
1,50,000 से अधिक	0.04%

सीआरए शुल्क:

क्रम संख्या	शुल्क मद		उच्चतम सीमा (₹ में)
1	पीआरएएन खोलने का शुल्क	ई-पीआरएएन किट	18
		भौतिक पीआरएएन कार्ड	40
2	लेन-देन शुल्क		0
3	प्रति खाता खाता अनुरक्षण शुल्क (एएमसी)		
	टीयर I निधि श्रेणी (₹ में)		शुल्क
	शून्य		0
	1 – 2,00,000		100
	2,00,001 – 10,00,000		150
	10,00,001 – 25,00,000		300
	25,00,001 – 50,00,000		400
	50,00,000 से अधिक		500

पीओपी शुल्क संरचना:

विवरण	शुल्क
एकबारगी ऑनबोर्डिंग शुल्क	प्रति नए खाते पर ₹200/- (समान रूप से ₹50 प्रति तिमाही आधार पर कटौती की जाएगी)
वार्षिक शुल्क	एयूएम का 0.20% प्रति वर्ष (योजना के एनएवी में समायोजन)

अभिरक्षक शुल्क:

विवरण	शुल्क
परिसंपत्ति सेवा शुल्क	अभिरक्षा में धारित परिसंपत्तियों का 0.000000001770% प्रति वर्ष (योजना के एनएवी में समायोजन)

एनपीएस ट्रस्ट शुल्क:

विवरण	शुल्क
व्यय प्रतिपूर्ति	प्रबंधित परिसंपत्तियों का 0.002% प्रति वर्ष (योजना के एनएवी में समायोजन)

<u>आंशिक आहरण</u>

1. क्या एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत आंशिक आहरण की अनुमति है?

हाँ, एनपीएस वात्सल्य योजना के अंतर्गत, आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के निदान हेतु आंशिक आहरण की अनुमति है।

2. किन उद्देश्यों के लिए आंशिक आहरण की अनुमति है?

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आंशिक आहरण की अनुमति दी गई है:

i. नाबालिग अभिदाता की शिक्षा

ii. नाबालिग अभिदाता की निर्दिष्ट बीमारियों के उपचार हेतु

iii. नाबालिग अभिदाता के 75% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति में

3. क्या खाता खोलने के तुरंत बाद अभिदाता/अभिभावक किसी भी समय आहरण कर सकता है?

नहीं, खाता खोलने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही अभिदाता/अभिभावक आंशिक आहरण के लिए पात्र होंगे।

4. अधिकतम कितनी राशि का आहरण किया जा सकता है?

अंशदान राशि (रिटर्न को छोड़कर) के अधिकतम 25% भाग का आहरण किया जा सकता है।

5. अभिदाता/अभिभावक अपने एनपीएस वात्सल्य खाते से कितनी बार आहरण कर सकते हैं?

अभिदाता के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अभिदाता/अभिभावक द्वारा अधिकतम 2 बार आंशिक आहरण किया जा सकता है। अभिदाता के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात, निर्धारित केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा करने पर, 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच अतिरिक्त 2 आंशिक आहरण की अनुमति होगी।

6. क्या आंशिक आहरण आयकर के अंतर्गत कर योग्य है?

नहीं, एनपीएस वात्सल्य दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमत आंशिक आहरण पर प्राप्त राशि, आयकर अधिनियम, 2025 के अंतर्गत करमुक्त है।

निरंतरता

1. **अवयस्क के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर क्या होगा?**
   18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात, अभिदाता अधिकतम 3 वर्षों (अर्थात् 21 वर्ष की आयु तक) तक एनपीएस वात्सल्य में बना रह सकता है, जब तक कि वह योजना से निकास करने अथवा एनपीएस (सर्व नागरिक मॉडल) या किसी अन्य लागू मॉडल में स्थानांतरित होने का विकल्प नहीं चुनता/चुनती हो। नवीन केवाईसी, जिसमें नामांकन विवरण तथा अन्य निर्धारित विवरण शामिल हैं, अनिवार्य होगा। केवाईसी पूर्ण होने के पश्चात, अभिदाता निम्नलिखित विकल्प चुन सकता/सकती है:

   i. संपूर्ण संचित राशि को बिना किसी बाधा के एनपीएस (ऑल सिटिजन मॉडल अथवा अन्य लागू मॉडल) में स्थानांतरित करना, अथवा

   ii. अधिकतम 80% राशि एकमुश्त निकालना तथा शेष राशि से वार्षिकी खरीदना, अथवा

   iii. यदि कुल संचित राशि ₹8 लाख से कम हो, तो संपूर्ण राशि का 100% निकासी करना।

2. **यदि अभिदाता उपलब्ध विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं चुनता/चुनती है, तो क्या होगा?**
   यदि 21 वर्ष की आयु तक कोई विकल्प नहीं चुना जाता है, तो खाता स्वतः उसी पेंशन निधि प्रबंधक के अंतर्गत मल्टीपल स्कीम्स फ्रेमवर्क की उच्च-इक्विटी योजना में एनपीएस में स्थानांतरित हो जाएगा तथा पीएफआरडीए (एनपीएस के अंतर्गत निकास एवं प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अनुसार संचालित होगा। निकासी केवल केवाईसी पूर्ण होने के पश्चात ही अनुमत होगी।

3. **18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अभिदाता के लिए क्या आवश्यकताएँ होंगी?**
   18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अभिदाता को नवीन केवाईसी पूर्ण करना तथा नामिति व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. **यदि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात केवाईसी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है, तो क्या होगा?**
   यदि केवाईसी विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो अभिदाता के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कोई भी आगामी लेन-देन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके पश्चात खाता निष्क्रिय हो जाएगा।

5. **केवाईसी पूर्ण करने तथा नामिति/व्यक्तियों का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात अभिदाता के पास क्या विकल्प होंगे?**
   अभिदाता 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक योजना के अंतर्गत जारी रह सकता/सकती है। 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच अभिदाता निम्नलिखित विकल्पों में से कोई भी चुन सकता/सकती है:

i. संपूर्ण संचित राशि को बिना किसी बाधा के एनपीएस (सर्व नागरिक मॉडल अथवा अन्य लागू मॉडल) में स्थानांतरित करना, अथवा

ii. अधिकतम 80% राशि एकमुश्त निकालना तथा शेष राशि से वार्षिकी खरीदना, अथवा

iii. यदि कुल संचित राशि ₹8 लाख से कम हो, तो संपूर्ण राशि का 100% निकासी करना।

6. यदि अभिदाता वयस्कता प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम 3 वर्षों तक योजना जारी रखने का विकल्प चुनता/चुनती है, तो क्या होगा?

खाता अभिदाता के 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सक्रिय रहेगा। 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच अभिदाता अधिकतम 2 अतिरिक्त आंशिक निकासी का लाभ उठा सकता/सकती है। इसके पश्चात, अभिदाता उपर्युक्त विकल्पों का उपयोग करते हुए योजना से बाहर निकल सकता/सकती है।

मृत्यु

1.अभिदाता की मृत्यु होने की स्थिति में क्या होगा?

खाते में संचित संपूर्ण पेंशन निधि, परिस्थितियों के अनुसार, अभिभावक अथवा नामिति/व्यक्तियों या विधिक वारिस/वारिसों को देय होगी। प्राप्तकर्ता के पास उक्त राशि को अपने व्यक्तिगत एनपीएस खाते में स्थानांतरित करने का विकल्प भी होगा।

2. यदि अभिभावक की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है, तो क्या होगा?

यदि किसी अभिभावक की मृत्यु अभिदाता से पूर्व हो जाती है, तो आवश्यक केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करके अन्य अभिभावक का पंजीकरण कराना होगा।

3. माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में क्या होगा?

माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में, विधिक रूप से नियुक्त अभिभावक, आगे अंशदान करते हुए अथवा बिना अंशदान किए भी, खाते को जारी रख सकता/सकती है।

<u>शिकायत का निवारण</u>

1. **एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत शिकायतों का निवारण कैसे किया जा सकता है?**

   अभिदाता की शिकायतें संबंधित सीआरए की केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं, जैसा कि पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। शिकायतें एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट (https://npstrust.org.in/lodge-a-grievance) पर भी दर्ज की जा सकती हैं। पीएफआरडीए ने **'पेंशन सहायक'**(https://pensionsahayak.pfrda.org.in/en/auth) नामक एकीकृत शिकायत प्रबंधन पोर्टल विकसित किया है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है। यह वेब, मोबाइल, व्हाट्सऐप तथा आईवीआर जैसे विभिन्न माध्यमों को एकीकृत करते हुए बहुभाषीय समर्थन के साथ शिकायतों के सुगम निवारण की सुविधा प्रदान करता है।

2. **शिकायत का निवारण कितनी अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है?**

   शिकायत अथवा परिवाद का निवारण संबंधित मध्यवर्ती द्वारा यथाशीघ्र, किन्तु शिकायत प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक है।

3. **एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत शिकायत निवारण हेतु मध्यवर्तियों के लिए क्या दिशा-निर्देश हैं?**

   एनपीएस ट्रस्ट द्वारा जारी मध्यवर्तियों हेतु शिकायत निवारण संबंधी दिशा-निर्देश एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट https://npstrust.org.in/grievance-redressal-policy पर उपलब्ध हैं।

4. **यदि अभिदाता शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, तो वह क्या कर सकता/सकती है?**

   यदि अभिदाता प्रदान किए गए शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं है, तो वह शिकायत को समाधान हेतु अगले उच्च स्तर पर अग्रेषित कर सकता/सकती है। शिकायत अग्रेषण की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

   मध्यवर्ती → एनपीएस ट्रस्ट → लोकपाल → पीएफआरडीए → एसएटी (प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण)

<u>**कर लाभ**</u>

1. **एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत अंशदान, आंशिक निकासी तथा निकास राशि पर उपलब्ध कर लाभ क्या हैं?**

   एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत निम्नलिखित कर लाभ उपलब्ध हैं:

चरण	**पुरानी कर व्यवस्था**	**नई कर व्यवस्था**
अंशदान के समय	आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 124(4) के अंतर्गत, जहाँ करदाता द्वारा माता-पिता अथवा अभिभावक के रूप में अवयस्क के खाते में अंशदान किया जाता है, वहाँ अधिकतम ₹50,000 तक की कटौती उपलब्ध है।	कोई कटौती उपलब्ध नहीं है।
आंशिक निकासी के समय	आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची III (तालिका: क्र. सं. 4) के अंतर्गत, अवयस्क के माता-पिता अथवा अभिभावक के रूप में कार्य कर रहे करदाता द्वारा प्राप्त स्वयं के अंशदान का अधिकतम 25% तक की आंशिक निकासी करमुक्त है।	पुरानी कर व्यवस्था के समान ही छूट उपलब्ध है।
निकास / खाता बंद करने के समय	i) आयकर अधिनियम, 2025 की अनुसूची II (तालिका: क्र. सं. 6) के अंतर्गत, निकास अथवा खाता बंद करने के समय संचित राशि का अधिकतम 60% तक एकमुश्त निकासी करमुक्त है। (ii) वार्षिकी खरीदने हेतु प्रयुक्त राशि, आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 124(9) के अंतर्गत करमुक्त है। (iii) **नाबालिग की मृत्यु की**	पुरानी कर व्यवस्था के समान ही छूट उपलब्ध है।

	स्थिति में, माता-पिता, अभिभावक अथवा नामिति व्यक्ति द्वारा प्राप्त राशि को उनकी आय नहीं माना जाएगा।	

अतिरिक्त प्रश्न

1. **मेरा बच्चा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार से छात्रवृत्ति सहित अन्य लाभ प्राप्त कर रहा/रही है। क्या उसका वात्सल्य खाता खोला जा सकता है?**
   जी हाँ, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार से किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के बावजूद बच्चे का एनपीएस वात्सल्य खाता खोला जा सकता है।

2. **मेरे बच्चे का सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता है। क्या मेरे बच्चे का एनपीएस वात्सल्य खाता खोला जा सकता है?**
   जी हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे बच्चे के लिए भी एनपीएस वात्सल्य खाता खोला जा सकता है।

3. **मेरा एनपीएस खाता है। क्या मैं अपने बच्चे के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकता/सकती हूँ?**
   जी हाँ, एनपीएस खाता धारक तथा गैर-एनपीएस खाता धारक, दोनों प्रकार के माता-पिता/अभिभावक अपने बच्चे के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं।

4. **मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। क्या मैं अपने बच्चे के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकता/सकती हूँ?**
   जी हाँ, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बिना किसी अतिरिक्त मानदंड अथवा प्रतिबंध के एनपीएस वात्सल्य खाता खोला जा सकता है।

5. **क्या एनपीएस वात्सल्य खाते में किसी प्रकार की गारंटी उपलब्ध है?**
   नहीं, एनपीएस वात्सल्य खाते में किसी प्रकार की गारंटी उपलब्ध नहीं है। प्रतिफल (रिर्टन) बाजार आधारित होते हैं।

****